

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/85/2021

अपीलांत श्री चेलाराम मोची पुत्र श्री पोलाराम  
निवासी इन्द्रा कॉलोनी पूरबीया मोची जोगमाया मंदिर एवं रामदेव मंदिर के पास, प्रतापनगर  
जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

## आदेश

दिनांक : 29.11.2021

अपीलार्थी श्री चेलाराम मोची पुत्र श्री पोलाराम निवासी इन्द्रा कॉलोनी पूरबीया मोची जोगमाया मंदिर एवं रामदेव मंदिर के पास, प्रतापनगर जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 09.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 609296 दिनांक 04.10.2021 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांत की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।



प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर  
बाड़मेर

